

1. नीति एवं विधि प्रकोष्ठ, पीजी-आरटीआई प्रकोष्ठ और सतर्कता अनुभाग की प्रभारी अब इप्सिता मित्रा, डीएस हैं।

नीति एवं विधि अवर सचिव - श्रीमती देबाला भट्टाचार्य

पीजी/आरटीआई अवर सचिव - मोहम्मद मराजुद्दीन

सतर्कता अनुभाग अधिकारी - श्री दिनेश कुमार

2. डीईपीडब्लू वेबसाइट के 'अन्य' अनुभाग में सतर्कता के अंतर्गत सक्रिय प्रकटीकरण को निम्नलिखित अनुसार

अद्यतन किया जा सकता है:

आरटीआई अधिनियम, **2005** के तहत विभाग के सक्रिय प्रकटीकरण पैकेज से संबंधित सामग्री की तैयारी के संबंध में पारदर्शिता ऑडिटमें। संबंध के - ऑडिट पार्टी थर्ड/

क्रम सं.	सामग्री	
1	कर्मचारियों की संख्या जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है ii) मामूली दंड या बड़ी दंड कार्यवाही के लिए लंबित)1.11.1) - पूरी जानकारी प्रदान करें।	उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध प्रमुख दंड कार्यवाही लंबित है - 02
2	मामूली दंड या बड़ी दंड कार्यवाही के लिए अंतिम रूप दिया गया)1.11.2) - पूरी जानकारी प्रदान करें।	मामूली दंड के लिए अंतिम रूप दिए गए मामलों की संख्या -00 बड़ी दण्ड कार्यवाही हेतु अंतिम रूप दिये गये मामलों एवं लगाये गये दण्ड की संख्या -00